रजिस्ट्री सं० डी--(डी)--73 REGISTERED NO. D--(D)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 14, 1981 (कार्तिक 23, 1903)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 14, 1981 (KARTIKA 23, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 3
[PART III—SECTION 3]

लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Minor Administrations]

दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र

दादरा और नगर हवेली प्रशासन

सिलवासा दिनांक 5 मई 1981

सं. ए. डी. एम/एल. ए. डब्ल्यू/एस. आई. टी./193/(11)/(5)/81--प्रशासक दादरा और नगर हवेली, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा तथा संशोधित स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दादरा और नगर हवेली (स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन) नियम, 1981 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अधिनियम" से स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा तथा संशोधित स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1955 अभिप्रेत है।

(ख) "प्रशासक" से प्रशासक, दादरा और नागर हवेली अभिप्रेत है।

(ग) "बोर्ड" से प्रशासक द्वारा नियम 41 के अधीन नियुक्ति परिवर्शक-बोर्ड अभिप्रेत है।

(घ) "मुख्य निरीक्षक" से प्रशासक द्वारा मुख्य निरीक्षक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ङ) "अनुज्ञप्ति" से धारा 21 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है।

(च) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है।

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है और,

(ज) "पुलिस अधीक्षक" से भिन्न अभिव्यक्ति "अधीक्षक" से संरक्षागृह या सुधार संस्था का प्रधान भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है और इन नियमों के अधीन अधीक्षक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये विशेष रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति इसके अन्तर्गत है।

सार्वजनिक स्थान अधिसूचित करने की रीति :—

3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 7(1) के अधीन किसी स्थान को सार्वजनिक स्थान अधिसूचित करने वाले प्रत्येक आदेश की एक प्रति ऐसे अधिसूचित सार्वजनिक स्थान के सहज-दृश्य भाग पर और जिला मजिस्ट्रेट के न्याय-सदन पर भी लगाई जायेगी ।

लड़कियों का सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना :—

4. (1) जहां धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई लड़की के ही धार्मिक मत का कोई जिम्मेदार और विश्वासनीय व्यक्ति उस लड़की का भार संभालने को रजामंद है तथा उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कार्य करते हुए मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा में उस लड़की को रखने का आदेश पारित करता है, वहां ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारूप में वचनबन्ध निष्पादित करेगा ।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में लड़की रखी गई है वचनबन्ध की शर्तों की आगे पूर्ति करने को रजामंद नहीं है तो वह मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकेगा/सकेगी कि उसे अपनी अभिरक्षा में लड़की को रखने की बाध्यता से निर्मुक्त किया जाए।

किसी संरक्षागृह सुधार संस्था में स्त्री या लड़की का निरोध :—

5. जहां धारा 10 क की उपधारा (1) या धारा 17 की उपधारा (4) या धारा 19 की उपधारा (3) के अनुसरण में मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुये आदेश पारित करता है कि स्त्री या लड़की संरक्षा गृह या सुधार संस्था में निरुद्ध की जाए वहां, प्रारूप 2 में एक निरोध वारंट दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा और संरक्षा-गृह या सुधार संस्था के अधीक्षक को भेजा जाएगा । वह उसकी एक प्रति अपने पास रख लेगा और दूसरी प्रति मजिस्ट्रेट को इस पर यह पृष्ठांकित करके कि वारंट में निर्दिष्ट स्त्री या लड़की उसके भारसाधन में सम्यक् रूप से ले ली गई है/वापस कर देगा।

सिद्धदोष अपराधियों द्वारा निवास स्थान आदि की अधिसूचना :—

6. (1) धारा 11 के अधीन न्यायालय द्वारा जिस सिद्धदोष अपराधी को अपना निवास स्थान या ऐसे निवास की तबदीली या उससे अनुपस्थिति अधिसूचित करने का आदेश दिया गया है, वह छोड़ दिये जाने के तुरन्त पश्चात् अपने निवास स्थान पर अधिकारिता रखने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा/होगी और ऐसे पुलिस अधिकारी को अपना सही पता भी देगा/देगी। तत्पश्चात् वह ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रत्येक मास में एक बार उस अवधि की समाप्ति पर्यंत जिसके लिए उससे अपना निवास स्थान अधिसूचित करने की अपेक्षा की गई है, उपस्थित होता रहेगा/होती रहेगी।

(2) जब कोई ऐसा अपराधी अपना निवास स्थान बदलना चाहता है तब वह अपना आशय अपने निवास स्थान पर अधिकारिता रखने वाले पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा/करेगी और आशयित निवास स्थान का सही पता भी उसको देगा/देगी, ऐसे प्रत्येक मामले में पुलिस अधिकारी नये निवास स्थान पर अधिकारिता रखने वाले पुलिस अधिकारी को निवास स्थान की आशयित व तबदीली की रिपोर्ट सिद्धदोष अपराधी के पूर्ण विवरण सहित भेजेगा।

(3) जैसे ही अपराधी नए स्थान में अपना निवास प्रारम्भ करता है वह उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा/होगी और ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रत्येक मास में एक बार उस अवधि की समाप्ति पर्यंत जिसके लिए उससे अपना निवास स्थान अधिसूचित करने की अपेक्षा की गई है उपस्थित होता रहेगा/होती रहेगी ।

(4) यदि अपराधी किसी कारणवश अपना निवास स्थान मूलतः आशयित प्रकार से नहीं बदलता तो वह अधिकारिता रखने वाले पुलिस अधिकारी को इस तथ्य की रिपोर्ट अपना आशय परिवर्तन के कारणों सहित करेगा/करेगी ।

(5) उपनियम (2), (3) और (4) के उपबंध निवास से सात दिन से अधिक की अस्थायी अनुपस्थिति को भी लागू होंगे । परन्तु अस्थायी अनुपस्थिति की दशा में, सिद्धदोष अपराधी जैसे ही अपने प्रायिक निवास स्थान को लौटाता है, पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा/होगी ।

(6) कोई व्यक्ति जो नियम या उपनियम (1) से (5) में से किसी का भंग करेगा वह जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण:—इन नियम में "पुलिस अधिकारी" से पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है ।

7. संरक्षा गृहों/सुधार संस्थाओं के लिए अनुज्ञप्ति देना:—

संरक्षा गृहों सुधार (1) धारा 21 (3) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रशासक को प्रारूप 3 में दिया जाएगा ।

(2) अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन प्राप्त होने पर प्रशासक अनुज्ञप्ति देने के पूर्व उस निमित्त नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी से पूरा पूरा अन्वेषण करायेगा। आवेदन पर प्रशासक को रिपोर्ट देने के पूर्व उक्त अधिकारी या प्राधिकारी आवेदक या आवेदकों के और उस क्षेत्र के लिये नियुक्ति विशेष पुलिस अधिकारी के कथन अभिलिखित करेगा । इसके अतिरिक्त, वह परिक्षेत्र के ऐसे समाज कल्याण कार्यकर्ताओं या प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, जिनसे वह आवश्यक समझे पूछताछ कर सकेगा। यदि प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उपयुक्त व्यक्ति है या है जिसे या जिन्हें अनुज्ञप्ति दी जा सकती है तो वह प्रारूप 4 में अनुज्ञप्ति दे सकेगा एक बार दी गई अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रारूप 5 में किया जाएगा । तद्परि अनुज्ञप्ति का उतनी ही अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन दी गई या नवीकृत कोई भी अनुज्ञप्ति अन्तरणीय नहीं होगी।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्ति गृह का प्रबंधतंत्र जहां भी साध्य हो, स्त्रीयों को सौंपा जाएगा ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समस्त शर्तों और अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा तथा इसमें इसके पश्चात् अधिकथित रीति से सभी रजिस्टर और लेखे रखेगा तथा नियमों में विहित रूप में सभी विवरण और विवरणियां देगा।

संरक्षा गृहों या सुधार संस्थाओं में प्रवेश :—

8. (1) इस अधिवेशन/अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी स्त्री या लड़की के संरक्षा गृह या सुधार संस्था में प्रवेश पर अधीक्षक द्वारा उसकी परीक्षा की जायेगी। वह प्रारूप 6 में बने अन्तःवासी-रजिस्टर में ऐसे लिखेगा जो उसमें दिये जाने हैं।

(2) सब संरक्षागृह/सुधार संस्था में प्रवेश प्राप्त स्त्री या लड़की को कपड़ों का एक नया सैट दिया जाएगा और उसके द्वारा प्रवेश के समय पहने गये कपड़े यदि वे फटे हुए या गंदे और कीड़ों भरे है तो नष्ट कर दिये जाएंगे । ऐसी प्रत्येक स्त्री या लड़की के जिसे दो वर्ष या अधिक अवधि के लिये निरुद्ध किया जाता है कपड़े,

यदि वे नष्ट नहीं किये जाते हैं तो उनका विक्रय किया जाएगा और आगम स्त्री या लड़की के निजी खाते में जमा कर दिए जाएंगे। अन्य सभी मामलों में स्त्री या लड़की के कपड़े स्त्री या लड़की के माता पिता संरक्षकों या नातेदार नातेदारों को वापस कर दिए जायेंगे और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो वे धोकर एक बंडल में बांधकर भंडार में रख लिए जाएगें और स्त्री या लड़की के छोड़े जाने पर उसके वापस कर दिये जाएगें। उसको स्नान भी कराया जाएगा जो रोगाणुनाशक प्रकृति का होगा।

(3) संरक्षा गृह या सुधार संस्था का अधीक्षक या उसके द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई/अन्य पदधारी तब स्त्री या लड़की की परीक्षा के लिए उसे निकटतम अस्पताल में ले जाएगा। यदि उचित दूरी के भीतर कोई अस्पताल नहीं है, तो स्त्री या लड़की की स्वास्थ्य परीक्षा निकटतम ही अर्हता प्राप्त महिला चिकित्सक द्वारा की जाएगी।

(4) किसी रतिज-रोग से पीड़ित पाई गई स्त्रीयां या लड़कियां संरक्षा गृह या सुधार संस्था के अन्य अन्तः वासियों से यथासम्भव अलग रखी जायेगी। छोटे-मोटे रोग से पीड़ित स्त्रीयों या लड़कियों की चिकित्सा संरक्षागृह या सुधार संस्था में चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी।

यदि कोई स्त्री या लड़की गंभीर रोग से पीड़ित है तो वह प्रवेश के लिये निकटतम अस्पताल ले जाई जाएगी और रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेजी जाएगी। साथ ही साथ रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य निरीक्षक को भेजी जाएगी।

अंतःवासियों के साथ के बालकों का संरक्षागृह या सुधार संस्था में प्रवेश :--

9. (1) जब सात वर्ष से कम आयु के बालक की देख रेख करने वाली उसकी माता संरक्षा गृह या सुधार गृह या सुधार संस्था में निरुद्ध की जाती है या उसमें रखे जाने के लिये आदिष्ट की जाती है तो उसके साथ वह बालक भी गृह या संस्था में उस दशा में प्रविष्ट किया जा सकेगा जब उसको न तो नातेदारों के पास रखा जा सकता है और न उसकी अन्य उचित व्यवस्था की जा सकती है। यदि यह प्रश्न उठता है तो कि बालक सात वर्ष से कम आयु का है या नहीं तो उसका अवधारण अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(2) संरक्षा गृह या सुधार संस्था में प्रवेश के पश्चात् किसी अन्तःवासी के प्रसव पर वह बालक उसके साथ गृहसंस्था में रह सकेगा।

(3) कोई भी बालक जिसने सात वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है संरक्षा गृह या सुधार संस्था में नहीं रखा जाएगा। बालक के ऐसी आयु प्राप्त करने पर अधीक्षक उस तथ्य की सूचना मुख्य निरीक्षक को इस दृष्टि से देगा कि यदि संभव हो तो वह उस बालक का उसके नातेदारों के पास रहने या ऐसे आदेश के लिये जो बालक अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठीक समझा जाए, बालक अधिनियम के अधीन गठित बालक कल्याण बोर्ड/बालक न्यायालय/किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रबन्ध कर दे।

(4) संरक्षा गृह या सुधार संस्था में रखे गये बालक को ऐसा आहार और कपड़े दिये जाएंगे जो गृह या संस्था से संलग्न चिकित्सा अधिकारी उचित समझे।

अंतःवासी अभिलेख :--

10. प्रत्येक अन्तःवासी के सम्बन्ध में एक अभिलेख रखा जाए जिसमें प्रारूप 7 में एक पूर्ववृत्त टिकट और अन्तःवासी का अध्ययन, वर्गीकरण और स्थापन के सम्बन्ध में अन्य जानकारी और संस्थागत उपचार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया होगें।

स्वास्थ्य परीक्षा :---

11. प्रत्येक मास में एक बार प्रत्येक अंतःवासी की स्वास्थ्य परीक्षा की जायेगी और उसका वजन लिया जाएगा। ऐसी परीक्षा और वजन लेने का परिणाम अन्तःवासी के वृत्त टिकट में लिखा जाएगा। संरक्षा गृह या सुधार संस्था द्वारा लिये गये वजन के आंकड़ों को दर्शित करने वाला एक विवरण प्रत्येक मास की दस तारीख के पूर्व अधीक्षक द्वारा मुख्य निरीक्षक को प्रारूप 8 में भेजा जायेगा।

संरक्षा गृह या सुधार संस्था के स्थापन की संख्या :---

12. प्रत्येक संरक्षा गृह या सुधार संस्था के चाहे वह प्रशासक द्वारा स्थापित हो या उसके द्वारा अनुज्ञात हो, स्थापन की संख्या जिसमें अधिशासक, लिपिकीय और सुधारक कार्मिक हैं प्रशासक द्वारा मुख्य निरीक्षक से परामर्श करके समय समय पर अवधारित की जाएगी। मुख्य निरीक्षक से परामर्श करके, प्रशासक उनको कर्तव्य भी सौंप सकेगा। अन्तःवासियों की चिकित्सीय सहायता के लिये आवश्यक व्यवस्था प्रशासक मुख्य निरीक्षक के परामर्श से करेगा।

13. (1) प्रत्येक संरक्षा गृह या सुधार संस्था की प्रधान पूर्ण कालिक अधीक्षक अधिमानतः ऐसी महिला अधीक्षक होगी जो सामाजिक कार्य में वृत्तिक रूप से प्रशिक्षित है या जिसे महिला कल्याण कार्य का गहन अनुभव है। अधीक्षक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये अधिशासक और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द के अतिरिक्त इतनी संख्या में विशेषज्ञों जैसे अध्ययनकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों आदि की सहायता प्राप्त होगी जितनी उसके भार-साधक अधीन गृह संस्था के लिये प्रशासक द्वारा आवश्यक समझी जाती है। साधारणतया अधीक्षक सभी नियमों और आदेशों के अनुपालन, अधीनस्थ कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा अन्तःवासियों में अनुशासन बनाये रखने के लिये जिम्मेदार होगा/होगी। वह अपने हस्तलेख में कार्यालय रोजनामचा तैयार करेगा/करेगी। जिसमें गृह या संस्था के प्रबन्ध से संबंधित ऐसी प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना लिखी जायेगी जिसके संबन्ध में ऐसा कार्य पत्र व्यवहार के रजिस्टरों में नहीं किया जा सकता और जिसको भविष्य के मार्ग-दर्शन के लिये अभिलिखित करना वांछनीय है। यह रोजनामचा मुख्य निरीक्षक को प्रत्येक मास के अन्त में भेजा जाएगा जो उसके परिशीलन के पश्चात् ऐसी टिप्पणियों सहित, जो वह आवश्यक समझे, तुरन्त वापस भेज देगा।

(2) सुधार संस्था का अधीक्षक अपने भारसाधन के अधीन प्रत्येक अन्तःवासी की व्यक्तिगत समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देगा/देगी और इस प्रयोजन के लिये वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उनके लिए अध्ययन, वर्गीकरण, स्थापन स्वतः सुधार, पुनर्शिक्षा और पुनर्वास का व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित है।

14. **अधीक्षक के कर्तव्य :---**

प्रशासक द्वारा सौंपे गये अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त अधीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य होगें।

(1) गृह के साधारण पर्यवेक्षण और स्वच्छता का तथा उसके अंतःवासियों के स्वास्थ्य का भार अधीक्षक पर होगा।

(2) अधीक्षक, अन्तःवासियों के लिये व्यक्तित्व पुनर्निर्माण और सुधारात्मक व्यवहार के लिए अपेक्षित अवसरों की व्यवस्था करने में संस्थागत स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग करेगा।

(3) अधीक्षक अधीनस्थ कर्मचारियों के शासन के लिये जिम्मेदार होगा।

(4) साधारण लेखा रखने, बिलों को संवितरित करने और गृह के अंतःवासियों के आभूषण, नकदी या अन्य वस्तुओं की अभिरक्षा का भार अधीक्षक पर होगा ।

(5) कार्यालय के पत्र व्यवहार और लोक सम्पर्क का भार अधीक्षक पर होगा ।

(6) अधीक्षक परिदर्शक बोर्ड के अधिवेशनों की व्यवस्था करेगा और अधिवेशनों की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को तुरन्त भेजेगा।

(7) अधीक्षक मास में कम से कम एक बार रसद भंडार का अकस्मात निरीक्षण करेगा, रात्रि के दौरान मास में कम से कम दो बार अधिनियम/अधिनिर्दिष्ट समय पर गृह या संस्था का परिदर्शन करेगा और यह देखेगा कि सब कुछ ठीक है।

(8) प्रशासक द्वारा मुख्य निरीक्षक से परामर्श करके, समय समय पर विहित विवरणों और विवरणियों के अतिरिक्त अधीक्षक इन नियमों के अधीन विवरण और विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए ही जिम्मेदार होगा ।

(9) अधीक्षक मुख्य निरीक्षक द्वारा समय समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार रसद क्रय करने के लिये जिम्मेदार होगा । वह यह भी देखेगा/देखेगी कि राशन तोला जाता है और रसोइयों को दिया जाता है और चिकित्सा अधिकारी के साथ प्रतिदिन भोजन का निरीक्षण उस समय जब वह पक जाए और बांटे जाने के लिये तैयार हो, यह सुनिश्चित करने के लिये करेगा/करेगी कि भोजन उचित तौर पर पकाया जाता है और उसकी पूर्ण मात्रा अन्तःवासियों को मिलती है ।

(10) अधीक्षक संरक्षा गृह या सुधार संस्था की सभी संपत्ति और प्राप्त की गई सभी धन राशियों और भंडार सामग्री के लिये जिम्मेदार होगा ।

साप्ताहिक निरीक्षक:—

15. (1) प्रत्येक सप्ताह में एक बार प्राप्तः काल जो प्रायः सोमवार होगी, अधीक्षक, सभी अन्तःवासियों का पूर्ण रूप से निरीक्षण करेगा। उस समय चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित होगा। ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के समय, अधीक्षक अपना यह समाधान करेगा/करेगी कि—

(क) प्रत्येक अन्तःवासियों को उचित कपड़े बिस्तर दिये गये हैं।

(ख) वे स्वच्छ और निर्मल हैं, तथा

(ग) अन्तःवासियों को लागू नियम और आदेश सम्यक रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

(2) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण में अधीक्षक उन शिकायतों और प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनकी जांच करेगा जो अन्तःवासी करने के इच्छुक हों, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अंतःवासियों द्वारा की गई शिकायतों और प्रार्थनाओं को धैर्यपूर्वक सुने और उनको ऐसी शिकायतें और प्रार्थनाएं करने के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करे ।

(3) इस नियम की कोई बात किसी अन्तःवासी को, अधीक्षक से साप्ताहिक निरीक्षण के अतिरिक्त किसी समय शिकायत या प्रार्थना करने से वर्जन नहीं करेगी और प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अधीक्षक से मिलने की इच्छुक प्रत्येक अन्तःवासी को उसके समक्ष अविलंब पेश करे।

अधीक्षक की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखे जाने वाले दस्तावेज:—

16. निम्नलिखित दस्तावेज अधीक्षक की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(क) संविदा करार बंध-पत्र।

(ख) ठेकेदार की ओर अधीनस्थों की प्रतिभूति जमा रसीदें या डाकघर बचत बैंक लेखा पुस्तिकाएं और डाकघर नकद प्रमाण-पत्र।

अधीक्षक द्वारा आस्थान छोड़ने के लिये पूर्व अनुज्ञा की अपेक्षा:—

17. मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना अधीक्षक किसी भी कारणवश आस्थान (स्टेशन) से अनुपस्थित नहीं होगा/होगी।

कार्यालय : आदेश पुस्तिका:—

18. अधीक्षक संरक्षा गृह या सुधार संस्था के लिए एक आदेश पुस्तिका रखेगा जिसमें वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के लिये समय-समय पर दिये गये सभी स्थायी आदेश अभिलिखित करेगा। वह अपने अधीनस्थों को विभिन्न कर्तव्य आदेश द्वारा बांटेगा और तत्पश्चात् जब भी आवश्यक समझा जाए, आदेश द्वारा ऐसे आबंटन को परिवर्तित कर सकेगा।

संरक्षा गृह या सुधार के चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य:—

19. (1) उन कर्तव्यों के अतिरिक्त जो किसी संरक्षा गृह या सुधार संस्था के चिकित्सा अधिकारी को प्रशासक द्वारा मुख्य निरीक्षक से परामर्श करके समय सौंपे जाएं चिकित्सा अधिकारी रविवार और अन्य अवकाश दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन संरक्षा गृह या सुधार संस्था में जायेगा और जब आवश्यक हो तब रविवार और अन्य अवकाश दिनों पर भी ऐसा करेगा। वह अन्तःवासियों के स्वास्थ्य और सफाई की, रोगियों के उपचार की, संरक्षा गृह या सुधार संस्था की स्वच्छता की, भोजन के साधारण निरीक्षण और पर्यवेक्षण की तथा अन्य सभी ऐसे विषयों की देखभाल करेगा जो गृह या संस्था के कर्मचारियों और अन्तःवासियों के स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं।

(2) संरक्षा गृह या सुधार संस्था में प्रत्येक बार जाने पर चिकित्सा अधिकारी अपनी टिप्पणियां प्ररूप 9 के रजिस्टर में लिखेगा/लिखेगी।

(3) अधीक्षक की (आकस्मिक छुट्टी से भिन्न) अल्पकालिक छुट्टी के कारण अनुपस्थिति के दौरान या अधीक्षक के पद की अल्पकालिक रिक्ति के दौरान और यदि उसका भार धारण करने के लिए कोई उप अधीक्षक नहीं है तो मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन से चिकित्सा अधिकारी, यदि ऐसा करने के लिये उसे कहा जाए, अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अधीक्षक के रूप में कार्य कर सकेगा/सकेगी।

संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं की अन्तःवासियों की शिक्षा और प्रशिक्षण:—

20. (1) सभी संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं में साधारण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक संरक्षा गृह या सुधार संस्था में अन्तःवासियों के लिये उनकी रुचि हित और पुनः वासीय अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये यथा संभव व्यवस्था की जायेगी। समस्त अन्तःवासी जब तक वे शारीरिक रूप से असमर्थ रोगग्रस्त या रुग्न न हों, रचनात्मक कार्य में लगाई जायेगी।

(2) प्रत्येक संरक्षा गृह या सुधार संस्था में (मुख्य निरीक्षक द्वारा) शिक्षा और प्रशिक्षण की ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित की जाएं। किसी संरक्षा गृह या सुधार संस्था में अपनाया जाने वाला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, यथास्थिति, शिक्षा निदेशक या रोजगार और प्रशिक्षण निदेशक या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अन्य संबद्ध विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो समुदाय में एपलभ्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं का मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन से अन्तःवासियों के फायदे के लिये भी सप्रयोजनतः उपयोग या उपभोग किया जाएगा।

(3) अन्तःवासियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक और अर्हता प्राप्त प्रशिक्षक नियुक्त किये जाएंगे। आपात के समय अधीक्षक ऐसे शिक्षकों और प्रशिक्षकों को कार्यपालक या प्रशासनिक कर्तव्य करने के लिये भी निदेश दे सकेगा।

संरक्षा गृह और सुधार संस्था की दिनचर्या:—

21. (1) अन्तःवासियों की दिनचर्या अधीक्षक द्वारा मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन से साधारणतया निम्नलिखित आधार पर नियत की जायेगी:—

ग्रीष्म ऋतु में 5.30 पूर्व. से 6.30 पू. तक और शरद ऋतु में 6.30 पू. से 7.30 पू. तक—शौच, प्रक्षालन स्थान और प्रसाधन आदि।

7.30 पू. से 7.45 पू. तक—प्रार्थना

7.45 पू. से 8.15 पू. तक—अल्पाहार

8.15 पू. से 9.30 पू. तक—वैयक्ति कार्य तक

10.00 पू. से 1.00 अप. तक—शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण।

1.00 अप. से 2.00 अप. तक—दोपहर का भोजन और विश्राम

2.00 अप. से 4.30 अप. तक—कार्यक्रम।

4.30 अप. से 6.30 अप. तक—संगठित मनोरंजन प्रार्थना,

6.30 अप. से 6.45 अप. तक—रात्रि का भोजन,

6.45 अप. से 7.30 अप. तक—अध्ययन, पठन और अवकाश-समय

7.30 अप. से 9.30 अप. तक—क्रियाएं।

(2) रविवार और अन्य अवकाश दिनों पर दिनचर्या में यथोचित परिवर्तन किया जा सकेगा। शनिवार को आधे दिन का अवकाश रहेगा।

(3) सुधार संस्थाओं में अन्तःवासियों की दिनचर्या इस प्रकार विनियमित की जायेगी कि विभिन्न प्रकार की अन्तःवासियों के व्यक्तिगत सुधारात्मक उपचार के लिये पर्याप्त अवसर की व्यवस्था की जा सके।

संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं में अन्तःवासियों का आहार:—

22. (1) संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं के अन्तःवासियों को प्रशासक द्वारा समय-समय पर विहित मानक के अनुसार संतुलित पोष्टिक स्वास्थ्यकर आहार दिया जायेगा। आहार का मान साधारणतः निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

अनाज (जिसमें ज्वार/बाजरा भी सम्मिलित हैं)	500 ग्राम
दाल	115 ग्राम
सब्जी (हरी पत्तेदार, जड़दार और कन्दमूल तथा अन्य)	250 ग्राम
मच्छली या मास	30 ग्राम
या	
दूध और मूंगफली (भुनी हुई)	60 मिली
	15 ग्राम
दूध और चना (भुना हुआ)	60 मिली
तेल	20 ग्राम
नमक	30 ग्राम
इमली	25 ग्राम
जीरा और तेज पत्ता	10 ग्राम
	0.5 ग्राम
हल्दी	1 ग्राम
धनिया	0.5 ग्राम
लाल मिर्च	0.5 ग्राम
चाय/काफी (दिन में दो बार)	एक कप

(2) गर्भवती और धायों के लिये मान में निम्नलिखित मदें जोड़ी जायेंगी:—

दूध	225 मि.ली.
चीनी	50 ग्राम
सब्जी	115 ग्राम
मच्छली/मास या दही	30 ग्राम
	50 ग्राम

(3) प्रति अन्तःवासी ईंधन का मान निम्नलिखित होगा :—

कोयला: 285 ग्राम, जब अन्तःवासियों की कुल संख्या

150 से अधिक है। 340 ग्राम, जब अन्त: वासियों की कुल संख्या 150 से कम है।

जलाने की लकड़ी : 565 ग्राम, जब अन्त:वासियों की कुल संख्या 150 से अधिक है। 680 ग्राम, जब अन्त:वासियों की कुल संख्या 150 से कम है।

(4) मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा अनुमोदित विशेष आहार प्रशासक द्वारा ही विनिर्दिष्ट किये जाने वाले त्यौहार के दिनों पर जारी किया जाएगा। रुग्ण और रोगग्रस्त अन्त:वासियों के लिये आहार, चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं की अन्त:वासियों को वस्त्र आदि देना :—

23. (1) संरक्षा गृह या सुधार संस्था की अन्त:वासियों को प्रशासक द्वारा समय पर विहित मान के अनुसार वस्त्र, बिस्तर और अन्य वस्तुएं निम्नलिखित आधार पर दी जायेगी:—

प्रतिवर्ष दो साड़ी, तीन ब्लाउज और दो पेटीकोट या प्रतिवर्ष सलवार, या कमीज और दुपट्टा के दो सैट।

प्रति वर्ष प्रचलित अधवस्त्रों के चार सैट।

प्रति वर्ष चप्पल/जूते की एक जोड़ी।

प्रति वर्ष दो तौलिए।

अपेक्षानुसार विसंक्रमित स्वच्छता (सैनिटरी) पेड़।

एक मोटी सूती दरी या चटाई (2 मीटर×1 मीटर)।

दो वर्ष में एक तकिया और दो तकियों के गिलाफ। प्रति-वर्ष एक सूती पलंगपोश और एक सूती चद्दर। जलवायु संबंधी अपेक्षाओं या चिकित्सक की सिफारिशों के अनुसार गर्म कंबल और गर्म वस्त्र।

(2) प्रत्येक अन्त:वासी को एक इस्पात का बक्स, एक प्लेट, एक मग, एक कटोरा एक कंघी और एक दर्पण दिया जाएगा। वस्त्र धोने के प्रयोजन के लिये, प्रतिवर्ष प्रतिमास धोने के साबुन का एक शालाका और स्नान करने के प्रयोजन के लिए प्रतिमास नहाने के साबुन की एक बट्टी उसे दी जायेगी। इसके अतिरिक्त उसे तेलमालिश के लिये प्रतिदिन 5 ग्राम तेल दिया जाएगा। टूथ पाउडर, टिवग, या दांत साफ करने के अन्य साधन भी दैनिक उपयोग के लिये दिये जायेंगे।

(3) अन्त:वासियों की सभी वस्तुएं कपड़े बिस्तर आदि नियत अन्तरालों पर धोये और धूप में खोलकर रखे और रोगाणु नाशित तथा धूमित किये जायेंगे। ऐसी सभी वस्तुएं प्रारंभिक उपयोग और तत्पश्चात जारी करने के पूर्व बिसंक्रमित की जायेगी।

संरक्षागृहों और सुधार संस्थाओं की अन्त:वासियों के लिये रहने का स्थान :—

24. प्रत्येक अंत:वासी का एक अलग पलंग होगा और प्रति पलंग के लिये भूमी 2.5 मीटर×1.5 मीटर से कम जगह नहीं होगी प्रत्येक अंत:वासी की सामान्य शयनागार में स्थान आवंटित किया जाएगा।

धार्मिक और नैतिक शिक्षण :—

25. (1) संरक्षण गृहों और सुधार संस्थाओं को अन्य धर्मों की हानि करके किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति करने के साधन के तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जाएगा और धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का कड़ता से पालन किया जायेगा।

(2) संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं के अन्त:वासियों को धार्मिक और नैतिक शिक्षण इस शर्त पर दिया जाएगा कि ऐसे शिक्षण के बहाने किसी से धर्म परिवर्तन न कराया जाए और अन्त:वासियों को उनके द्वारा माने जाने वाले धर्म से दूर ले जाने के लिये कुछ नहीं किया जायें। यह शिक्षण चिंतन, समूह प्राथनाओं धार्मिक गीतों जो सभी धर्मों के व्यक्तियों द्वारा गाए जा सकते हैं। नीतिशास्त्र और धर्म के विश्वव्यापक सिद्धान्तों से संबंधित साहित्य के विशेष अंशों का गठन, साधुओं, समाज सुधारकों और नैतिक अध्यापकों की जीवनियों का अध्ययन, और नैतिक व्याख्यानों, वार्तालापों और भाषणों के रूप में हो सकेगा।

(3) अधीक्षक अवैतनिक नैतिक अध्यापकों और शिक्षणों की सेवाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और ऐसा न हो सकने पर कर्मचारिवृन्द के ज्येष्ठ सदस्यों को अधिमानत: अध्यापकों को सप्ताह में कम से कम एक बार अन्त:वासियों को स्वयं उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के लिये नियुक्त किया जायेगा।

(4) अवैतनिक नैतिक अध्यापकों और शिक्षकों का चयन मुख्य निरीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श करके किया जाएगा।

संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं के लिये पुस्तकालय :—

26. प्रत्येक संरक्षा गृह या सुधार संस्था में पुस्तक सूची सहित यथोचित पुस्तकों और पत्रिकाओं के एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी। पुस्तकों और पत्रिकाओं के चयन अन्त: वासियों के चरित्र निर्माण और स्व-सुधार की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये अधीक्षक द्वारा किया जायेगा और मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

संरक्षा गृहों या सुधार संस्थाओं के अन्त:वासियों की पुलिस या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजरी:—

27. जिस अन्त:वासी की हाजिरी पुलिस या न्यायालय के समक्षा अपेक्षित है उसके इस प्रयोजन के लिये संरक्षा गृह या सुधार संस्था छोड़ने की अनुज्ञा तभी दी जायेगी जब पुलिस आयुक्त द्वारा या पुलिस आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्नपंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा या सक्षम अधकारिता वाले न्यायालय द्वारा जारी किया गया समय प्राप्त हो। ऐसे मामलों में अन्त:वासियों के साथ या तो अधीक्षक या कर्मचारिवृन्द का अन्य ऐसा सदस्य जिसे अधीक्षक उपयुक्त समझे, जायेगा।

28. (1) संरक्षा गृह या सुधार संस्थान की किसी भी अन्त:वासी के निकल भागने और पुन: पकड़े जाने की सूचना अधीक्षक द्वारा तुरन्त निम्नलिखित को दी जाये।

(क) मुख्य निरीक्षक

(ख) निकटतम पुलिस थाना और

(ग) जिला मजिस्ट्रेट।

(2) उपनियम (1) के अधीन निकल भागने की सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अन्त:वासी को पुन: पकड़ने और जिस संरक्षागृह या सुधार संस्था से वह निकल भागी थी वहां उसे वापस लाने के लिये आवश्यक कदम उठायेगा।

(3) वह समय जो उपनियम (2) के अधीन किसी अन्त:वासी के निकल भागने के पश्चात् और पुन: पकड़े जाने तक व्यतीत

हुआ है गृह या संस्था में उसके निरोध उसके निरोध की अवधि की संगणना से निकाल दिया जायेगा।

संरक्षा या सुधार संस्था में अंतः वासी की मृत्यु

29. किसी अन्तःवासी की मृत्यु हो जाने पर, अधीक्षक मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट में तुरन्त मुख्य निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को देगा साथ-साथ मृत अन्तःवासी के माता या पिता या संरक्षण या नातेदार को भी तुरन्त सूचित किया जायेगा।

अंतःवासियों का स्थानान्तरण:—

30. (1) मुख्य निरीक्षक स्वयं या अधीक्षक की रिपोर्ट पर किसी संरक्षा गृह या सुधार संस्था में निरुद्ध किसी स्त्री या लड़की के निम्नलिखित को स्थानान्तरित करने का आदेश दे सकेगा।

(i) यथास्थिति, किसी अन्य संरक्षागृह या सुधार संस्था को, यदि ऐसा स्थानान्तरण अंतःवासी के कल्याण के लिये या संस्थागत अनुशासन के हित में या उचित बात सुविधा की कमी के कारण आवश्यक समझा जाता है और वह आधार जिस पर स्थानान्तरण किया जाता है, लेखबद्ध किया जायेगा।

(2) किसी संरक्षा गृह से सुधार संस्था में, यदि स्त्री या लड़की का रूख, व्यवहार और आचरण ऐसा है कि उसके लिये सुधन सुधार उपचार की अपेक्षा है।

(3) किसी सुधार संस्था से संरक्षागृह में यदि स्त्री या लड़की का रूख व्यवहार और आचरण और अन्य असंगत परिस्थितियों जिसमें उसके द्वारा अपेक्षित सुविधाओं की किस्म भी सम्मिलित है, ऐसे स्थानान्तरण के लिये समुचित आधार है।

परन्तु ऐसी स्त्री या लड़की के निरोध की कुल अवधि किसी भी दशा में इस नियम के अधीन किसी आदेश से परिवर्तित नहीं होगी।

(2) इन नियमों के अधीन किसी अनुशासनिक कारवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधीक्षक मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन से किसी संरक्षागृह या सुधार संस्था में निरुद्ध किसी ऐसी स्त्री या लड़की के जो सुधर नहीं सकती अथवा गृह या संस्था के अन्य अन्तःवासियों पर बुरा असर डालने वाली पाई जाती है। या जिसकी उपस्थिति गृह या संस्था के अनुशासन के लिये हानिकारक बन जाती है मामले की रिपोर्ट न्यायालय को देगा और तदुपरि न्यायालय यदि उसका समाधान हो जाता है तो किसी गृह या संस्था में उसके निरोध की शेष अवधि या उसके भाग को कारावास अवधि में परिवर्तित कर सकेगा।

परन्तु न्यायालय द्वारा कारावास के दण्डादेश में परिवर्तित अवधि एक बार में तीन मास से अधिक नहीं होगी।

(3) पूर्वगामी उपनियम के अधीन न्यायालय के आदेश की प्राप्ति पर अधीक्षक कारवास के दण्डादेश के निष्पादन के लिये स्त्री या लड़की को निरोध वारण्ट के साथ कारागार में तुरन्त स्थानान्तरित करेगा।

(4) उस कारागार का अधीक्षक जिसमें किसी स्त्री या लड़की को उपनियम (2) के अधीन कारावास का दण्डादेश भुगतने के लिये आदेश दिया गया है, यथास्थिति, संरक्षागृह या सुधार संस्था के अधीक्षक को कम से कम 15 दिन पहले, कारावास की अवधि की समाप्ति की शीघ्र तारीख की सूचना देगा।

(5) पूर्वगामी उपनियम के अधीन सूचना की प्राप्ति पर अधीक्षक स्त्री या लड़की को संरक्षा गृह या सुधार संस्था में उसके निरोध की शेष अवधि, यदि कोई हो, पूरी करने के लिये उपनियम (2) के अधीन आदेशित कारागार में दण्ड की समाप्ति पर, यथास्थिति, संरक्षा गृह या सुधार संस्था में लायेगा या दिखाएगा।

(6) उस कारागार का अधीक्षक, जिसमें किसी स्त्री या लड़की को अधिनियम की धारा 7 या धारा 8 के अधीन दण्डादिष्ट किया जाता है, किसी भी समय, किसी ऐसी स्त्री या लड़की के जिसके लिए लंबा संरक्षण या ऐसा अनुदेश और अनुशासन जो उसके सुधार के लिये सहायक है, अपेक्षित है, ~~मामले की रिपोर्ट~~ न्यायालय को दे सकेगा और तदनुसार तदनुपरि न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाता है, दो वर्ष से अन्यून और पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये, जो न्यायालय ठीक, समझे, यथास्थिति, संरक्षा गृह या सुधार संस्था में निरुद्ध किये जाने का आदेश पारित कर सकेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन न्यायालय से निरोध-आदेश की प्राप्ति पर, कारागार का अधीक्षक स्त्री या लड़की का, यथास्थिति, संरक्षा गृह या सुधार संस्था में निरोध वारण्ट के साथ तुरन्त स्थानान्तरण कर देगा।

(8) पूर्वोक्त निरोध आदेश का निष्पादन उसी रीति से किया जायेगा, जिसमें अधिनियम की धारा 10क के अधीन पारित निरोध आदेश का निष्पादन किया जाता है।

संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं की अंतःवासियों से भेंट और उनसे पत्राचार :—

31. (1) किसी अन्तः वासी को अधीक्षक की अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना न तो आगन्तुकों से भेंट करने दी जायेगी और न पत्र प्राप्त करने दिया जायेगा और किसी भी पुरुष आगन्तुक को गृह या संस्था की किसी अन्तःवासी से अधीक्षक की या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत गृह या संस्था के कर्मचारी वृन्द के अन्य सदस्य की उपस्थिति के बिना भेंट करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(2) संरक्षा गृह या सुधार संस्था में हाल ही में प्रविष्ट प्रत्येक अन्तः वासी को अपील करने के लिये उसके नातेदारों, मित्रों या विधि सलाहकारों से मिलने या पत्राचार करने की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

(3) संरक्षा गृह या सुधार संस्था की अन्तः वासियों से उनके माता-पिता और संरक्षक रविवार को 4.00 अपराह्न और 6.00 बजे अपराह्न के बीच भेंट कर सकेंगे। अति आवश्यक कारणों से मिलने वालों को अन्य दिनों और अन्य समयों पर भेंट के लिये आज्ञा अधीक्षक की विशेष अनुज्ञा से दी जा सकेगी। आगन्तुकों से भेंट करने के विशेषाधिकार से अन्तःवासी को उसके अवचार के दण्डस्वरूप अधीक्षक के आदेश से वंचित किया जा सकेगा या यदि इस विशेषाधिकार को गृह या संस्था में कोई प्रतिषिद्ध वस्तु लाने के लिये प्रयोग किया जाये यदि अधीक्षक की राय में अन्तःवासी के माता-पिता या संरक्षक का उस पर या अन्य अन्तः वासियों पर बुरा असर पड़ता हो, या पड़ना संभाव्य हो अथवा यदि कोई अन्य पर्याप्त कारण हो, तो अधीक्षक के आदेश से उससे वंचित किया जा सकेगा। अधीक्षक ऐसे वंचित करने के कारण कार्यालय रोजनामचे में अभिलिखित करेगा।

(4) सदाचार की शर्त के अधीन रहते हुये, अन्तःवासी के गृह या संस्था में उसके निरोध या ठहरने की अवधि के दौरान मास में एक बार एक पत्र लिखना या प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(5) यदि माता-पिता या संरक्षकों का पता ज्ञात है तो उनको अन्तःवासी के किसी भी गंभीर रोग की सूचना दी जायेगी और माता पिता या संरक्षकों द्वारा की गई उचित पूछताछ का उत्तर अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(6) यदि अन्तःवासी चाहे तो उनको एक संस्था गृह या सुधार संस्था में दूसरे संरक्षा गृह या सुधार संस्था में अपने स्थानान्तरण के संबंध में अपने माता-पिता या संरक्षकों को एक विशेष पत्र द्वारा सूचित करने की अनुज्ञा दी जायेगी। यह उपनियम (4) के प्रयोजन के लिये पत्र नहीं गिना जायेगा।

(7) कोई भी पत्र तब तक न तो किसी अन्तःवासी को दिया जायेगा और न उसके द्वारा भेजा जायेगा जब तक अधीक्षक ने अपना समाधान नहीं कर लिया है कि उसका भेजा जाना आपत्तिजनक बात नहीं है।

(8) अधीक्षक स्वविवेकानुसार अन्तःवासियों के अवचार के बावजूद भी उपनियम (4) में उपबंधित अंतरालों से कम समयों पर भेंट के लिये या पत्र भेजने या प्राप्त करने के लिये अनुज्ञा उस दशा में दे सकेगा जब वह समझता/समझती है कि ऐसी रियायत के लिये विशेष या आवश्यक आधार है।

(9) गृह या संस्था के अन्तःवासियों के माता-पिता या संरक्षकों की भेंट अभिलिखित करने के लिये अधीक्षक द्वारा एक रजिस्टर रखा जायेगा। भेंट करने देने से इन्कार के मामलों को कारण सहित इस रजिस्टर में लिखा जायेगा ।

(10) अन्तःवासियों और इनके माता-पिता और संरक्षकों के बीच पत्राचार का एक रजिस्टर रखा जायेगा।

अन्तःवासियों को संरक्षा गृह या सुधार गृह या सुधार संस्था से अल्प अवधियों के लिये अनुपस्थित रहने का अनुभव :—

32. (1) मुख्य निरीक्षक की पूर्व मंजूरी से और अत्यंत विशेष मामलों में अधीक्षक किसी अन्तःवासी को उसके माता-पिता या संरक्षक की मृत्यु पर या माता-पिता या संरक्षक के गंभीर रूप से रुग्ण होने पर मिलने के लिये एक सप्ताह के अनधिक की छुट्टी दे सकेगा। मुख्य निरीक्षक मंजूर की गई छुट्टी की अवधि में दो सप्ताह तक की वृद्धि कर सकेगा। दी गई छुट्टी बिना कोई कारण बताये किसी समय रद्द या कम की जा सकेगी और अन्तःवासी को वापस बुलाया जा सकेगा।

(2) वह अवधि ,जिसके दौरान कोई अन्तःवासी उपनियम (1) के अधीन संरक्षा गृह या सुधार संस्था से अनुपस्थिति रहती है गृह या संस्था में उसके निरोध का भाग समझी जायेगी।

अनुशासन और दंड—

33. (1) संरक्षा गृह या सुधार संस्था में निम्नलिखित कार्य निषिद्ध है और प्रत्येक अन्तःवासी जो इसमें से कोई कार्य जानबूझ कर करेगी, उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने संरक्षा गृह या सुधार संस्था के विनियमों की जानबूझ कर अवज्ञा की है।

(क) किसी अन्य अवासी से झगड़ना।

(ख) कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

(ग) अपमानजनक, अश्लील या धमकी पूर्व भाषा का प्रयोग।

(घ) अनैतिक, या अशिष्ट या उपद्रवी व्यवहार।

(ङ) जानबूझकर स्वयं को श्रम करने के आयोजन बनाना।

(च) काम करने से धृष्टतापूर्वक इन्कार करना।

(छ) जानबूझकर आलस्य और कार्य-उपेक्षा।

(ज) सम्पत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।

(झ) कार्य का जानबूझकर के कुप्रबन्ध करना।

(ण) पूर्ववृत्त टिकटों, अभिलेखों, दस्तावेजों या औजारों को बिगाड़ना या उनको विरूपित करना।

(ब) किसी प्रतिषिद्ध वस्तु को प्राप्त करना, कब्जे में रखना या अन्तरित करना ।

(ठ) रुग्णता का ढोंग करना।

(ड) किसी अधिकारी या अन्तःवासी के विरुद्ध जानबूझकर झूठा अभियोग लगाना ।

(ढ) आग लगने, कूट योजना या षड्यंत्र, भाग निकलने, भाग निकलने की तैयारी या प्रयत्न, अथवा किसी अंतःवासी या पदधारी पर आक्रमण की घटना की सूचना जैसे ही मिले, वैसे ही उसकी रिपोर्ट न करना या करने से इन्कार करना ।

(ण) भाग निकलने का षड्यंत्र करना या भाग निकलने में सहायता करना।

(त) किसी अधिकारी या पदर्दशक द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न व गलत उत्तर देना।

(थ) भोजन करने से इंकार करना या भोजन को जानबूझकर नष्ट करना।

(द) न्यूसेंस करना।

(2) उपनियम (1) तो में विनिर्दिष्ट किसी कार्य या किन्हीं कार्यों के लिये अधीक्षक निम्नलिखित दंडों में से कोई दंड दे सकेगा:—

(क) खेलने के समय से वंचित करना।

(ख) माता-पिता या संरक्षकों से भेंट अस्थायी रूप से बंद करना, और

(ग) तीन मास से अतधिक की अवधि के लिए कठोर श्रम कराना ।

(3) अधीक्षक द्वारा एक दंड पुस्तिका रखी जायेगी। उसमें वह अपने द्वारा दिये दंड के पूरे ब्यौरे और अपराधों की प्रकृति अपराधियों के नाम और उनको पहले दिये गये दंडों की संख्या अभिलिखित करेगा।

(4) दंड पुस्तिका से उद्धरण अधीक्षक द्वारा मुख्य निरीक्षक को प्रत्येक मास की 10 तारीख के पूर्व भेजा जायेगा ।

प्रतिषिद्ध वस्तुयें—

34. शराब, मादक औषधियां, जिनमें अफीम और गांजा सम्मिलित है, प्रतिषिद्ध वस्तुयें होंगी । वे संरक्षा गृह या सुधार संस्था में नहीं लाई जायेगी या प्राप्त नहीं की जायेगी या कब्जे में नहीं रखी जायेगी या अन्तरित नहीं की जाएगी ।

मानसिक रोगियों का उपचार—

35. जब संरक्षा गृह या सुधार संस्था को किसी अन्तःवासी को संप्रेक्षण या उपचार के लिए किसी सरकारी मानसिक अस्पताल भेजा जाता है तब अधीक्षक द्वारा भारतीय पागलपन

अधिनियम, 1912 (1912 का 4) की धारा 6 (2) के अधीन प्रवेश आदेश प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी। जिस अंत:-वासी को ऐसे प्रवेश आदेश के साथ सरकारी मानसिक अस्पताल में ले जाया जाता है उसे "सिविल रोगी" माना जायेगा ।

उपचार के लिये सिविल अस्पताल ले जाना

36. (1) जब कभी संरक्षा गृह या सुधार संस्था का चिकित्सा अधिकारी किसी अन्त:वासी को उपचार के लिये किसी सिविल अस्पताल में अन्त:रोगी के रूप में ले जाना आवश्यक समझता है तब वह ऐसे मामले का पूर्ण कथन तैयार करके ही अधीक्षक को भेजेगा/भेजेगी जो तत्काल संबंधित अन्त:वासी को अस्थायी तौर पर अस्पताल भिजवाएगा।

(2) अन्त:वासी तुरंत अनुरक्षक के साथ अस्पताल जायेगी और अस्पताल के भारसाधक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगी।

(3) अन्त:वासी अस्पताल में अंत:रोगी के रूप में रहेगी तथा वहां से तब तक नहीं जायेगी जब तक उसको औपचारिक रूप से छुट्टी नहीं दे दी जाती।

(4) अंत:वासी को अस्पताल से छुट्टी देने के पूर्व अस्पताल के प्राधिकारी इसकी सूचना संबंधित को देंगे। सूचना प्राप्त होने पर, अधीक्षक अंत:वासी को लाने के लिये रेल भाड़ा, निर्वाह भत्ता, बस का या अन्य भाड़ा या अन्य आवश्यक भत्ते अधीक्षक द्वारा इस प्रकार व्यवस्था किये जायेंगे अनुरक्षक को दिये जायेंगे। ऐसे प्रभार अनुरक्षक को अन्त:वासी को संरक्षा संस्था गृह या सुधार संस्था से अस्पताल ले जाते समय भी दिये जायेंगे।

(5) जब किसी अन्त:वासी को उपचार के लिये किसी सिविल अस्पताल भेजा जाता है तब अन्त:वासी के अस्पताल में किये गये उपचार और उसे वहां दिये गये आहार की बाबत कोई प्रभार संरक्षा गृह या सुधार संस्था से नहीं लिये जाएंगे।

अस्पताल में व्यतीत की गई अवधि

37. जब कोई अन्त:वासी सरकारी मानसिक अस्पताल या सिविल अस्पताल में अंत:रोगी के रूप में भेजी जाती है उसके द्वारा ऐसे अस्पतालों में व्यतीत की गई अवधि उसके संरक्षा गृह या सुधार संस्था में निरोध या ठहरने की अवधि उसके संरक्षा गृह या सुधार संस्था में निरोध या ठहरने की अवधि का भाग समझी जायेगी।

संरक्षा गृह या सुधार संस्था के अन्त:वासियों का निर्मोचन:

38. (1) अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट पर, मुख्य निरीक्षक संरक्षागृह या सुधार संस्था में निरुद्ध किसी ऐसी स्त्री या लड़की को जिसका व्यवहार अच्छा पाया जाता है और जिसके द्वारा अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, ऐसी शर्तों रहित या सहित जो वह अधिरोपित करना ठीक समझता/समझती है, निर्मोचित करने का आदेश दे सकेगा/सकेगी और उसे प्ररूप 10 में ऐसे निर्मोचन की लिखित अनुज्ञप्ति देगा/देगी ।

परन्तु ऐसी स्त्री या लड़की को जब तक अनुज्ञप्ति पर निर्मोचित नहीं किया जायेगा तब तक वह यथास्थिति, किसी सुधार संस्था में कम से कम छह मास की और किसी संरक्षा गृह में अपने निरोध की कम से कम एक तिहाई अवधि के लिये नहीं ठहरी है।

(2) अधीक्षक प्रत्येक मास के अन्त:वासियों का एक विवरण तैयार करेगा जिनको आगामी मास में निर्मुक्त किया जाना है और यह विवरण अन्त:वासी को पढ़कर सुनायेगा। ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट, जहां अन्त:वासियों के पास वापस लौटाने के लिये कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। अधीक्षक द्वारा मुख्य निरीक्षक को, ऐसे पुन:स्थापन के लिये जैसा मुख्य निरीक्षक समुचित समझता है गृह या संस्था से अन्त:वासियों के निर्मोचन की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व की जायेगी।

(3) निर्मोचन के दिन, अन्त:वासी के स्वास्थ्य की दिशा अधीक्षक द्वारा अन्त:वासी रजिस्टर में लिखी जाएगी। वह सूपुर्दगी वारंट में दी गई प्रविष्टियों के रजिस्टर में दी गई प्रविष्टियों से मिलान करेगा और अपना समाधान करेगा कि वे मिलती हैं और अन्त:वासी ने गृह में रहने की अवधि सम्यक रूप से पूरी कर ली है। तब वह वारंट पर अवधि की सम्यक रूप से समाप्ति प्रमाणित करते हुए निर्मोचन पृष्ठांकन हस्ताक्षरित करेगा/करेगी। अन्त:वासी का माल असबाब उसको दे दिया जायेगा और उसका विवरण अन्त:वासी रजिस्टर के समुचित स्तम्भों में लिखा जाये। अन्त:वासी को निर्मुक्त करने के पूर्व उस दिन का भोजन दिया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो उसे यथोचित वस्त्र भी दिये जाएंगे।

(4) प्रत्येक निर्मोचित अन्त:वासी को, जिनका गन्तव्य स्थान रेल लाईन पर या उसके निकट है, निम्नलिखित दर्जे का रेल टिकट दिया जायेगा। जहां यात्रा व्यय 20 रुपये से अधिक अन्य मामलों में संदाय नकद किया जायेगा। जहां यात्रा नाव, बस या स्टीमर से की जानी है वहां अन्त:वासी को निम्नतम दर से उसके गन्तव्य स्थान से निकटतम बिराम स्टेशन तक का यात्रा भाड़ा या यात्रा व्यय धन दिया जायेगा जिस अन्त:वासी को निम्नतम सड़क से 8 किलोमीटर की या रेल या किसी अन्य वाहन से 3 घंटे से अधिक की यात्रा करनी है उसे यदि यात्रा अगले दिन प्रात: काल तक समाप्त होनी है तो 2 रुपये अन्यथा 4 रुपया प्रतिदिन की दर से निर्वाह भत्ता निर्मुक्ति पर दिया जाएगा।

(5) ऐसे मामलों में, जहां निर्मोचित अन्त:वासी के माता-पिता, नातेदार, पति या संरक्षक संरक्षा गृह या सुधार संस्था से अन्त:वासी का भार लेने के लिए अपना प्रबन्ध करने में सफल रहता है/रहती है, वहां निर्मोचन पर अन्त:वासी को गृह या संस्था के किसी ऐसे पदधारी के भारसाधन के अधीन भेजा जायेगा, जो अन्त:वासी की देखरेख और सुरक्षा के लिये तब तक जिम्मेदार होगा, जब तक अन्त:वासी को उसके माता-पिता, नातेदार, पति या संरक्षक को सौंप नहीं दिया जाता है। पदधारी की संघराज्य-क्षेत्र प्रशासन के नियमों के अधीन अनुज्ञेय दर पर आने जाने की यात्रा के लिये यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

(6) प्रशासन संरक्षा गृह या सुधार संस्था की उपयुक्त अन्त:-वासियों को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पश्चात्वर्ती देखरेख के कार्यक्रमों के अधीन स्थापित संस्थाओं में प्रविष्ट करने के आदेश किसी भी समय दे सकेगा।

(7) प्रत्येक संरक्षा गृह या सुधार संस्था में प्ररूप 11 में एक निष्टान रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें यह पूरा ब्यौरा दिया जायेगा कि प्रत्येक अन्त:वासी का निर्मोचन हो जाने पर उसको बाद में क्या किया गया और उसने बाद में क्या वृत्ति अपनाई। अधीक्षक अन्त:वासियों के निर्मोचन के पश्चात् कम से कम 3 वर्ष तक उनसे संपर्क बनाये रखने का हर प्रयास करेगा।

(8) अधीक्षक मुख्य निरीक्षक को प्ररूप 12 में एक वार्षिक विवरण भेजेगा। उस वर्ष में, जिसने विवरण संबंधित है, परिदर्शक बोर्ड द्वारा समय-समय पर की गई टिप्पणियां भी विवरण के साथ सूचित की जायेगी।

संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं के अन्तःवासियों का विवाह :—

39. (1) यदि संभव हो तो अधीक्षक किसी अन्तःवासी के विवाह की व्यवस्था सभी के धर्म के किसी पुरुष के साथ करा सकेगा। परन्तु यह तब जब कि अन्तःवासी उस समय 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है, और उससे विवाह संबंध में लिखित रूप में पूर्व सहमति प्राप्त कर ली गई है और वह उस व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है। जिस व्यक्ति से अन्तःवासी का विवाह होता है उससे या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई धनीय प्रतिफल नहीं लिया जायेगा।

(2) ऐसा कोई विवाह तब तक संपन्न नहीं किया जायेगा जब तक उस पुरुष का चरित्र-पूर्ववृत्त और पृष्ठभूमि सत्यापित नहीं कर ली जाती और वह विवाह के लिये ठीक नहीं पाया जाता है। प्रत्येक मामले में जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा अभिप्राप्त की जायेगी।

संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं का मुख्य निरीक्षक:—

40. (1) प्रशासक संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सभी संरक्षा-गृहों और सुधार संस्थाओं के लिए एक मुख्य निरीक्षक नियुक्त करेगा ।

(2) प्रशासक द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों में मुख्य निरीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य भी होंगे :

(क) वह इन नियमों के कार्यकरण का अधीक्षण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा/करेगी।

(ख) वह संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सभी संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं के कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण रखेगा/रखेगी।

(ग) वह प्रशासक द्वारा स्थापित या उससे अनुज्ञप्त सभी संरक्षा गृहों का और सुधार संस्थाओं का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रशासक को भेजेगा ।

परिदर्शक बोर्ड :—

41. (1) प्रशासक किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित सभी संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं का मास में एक बार निरीक्षण करेगा और ऐसे संरक्षा-गृहों और सुधार संस्थाओं के प्रशासन संबंधी विषयों पर अपनी टीका-टिप्पणियां और सलाह देगा।

(2) प्रशासक परिदर्शक बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे शासकीय पदधारियों और अशासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे । जिनकी कुल संख्या तीन से कम और सात से अधिक नहीं होगी और उनमें से एक को अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों में अनुभवी समाज कल्याण कार्यकर्ता हो सकेंगे, विशेष रूप से ऐसी महिलाएं जिन्हें स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के दमन के क्षेत्र में अनुभव है ।

(3) अशासकीय सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा ।

(4) बोर्ड का कर्तव्य होगा कि :—

(क) यह जांच करे और सुनिश्चित करे कि संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं में अंतःवासियों की देख रेख और कल्याण के लिए व्यवस्था सभी दृष्टियों से ठीक है।

(ख) गत अधिवेशन के पश्चात् प्रविष्ट की गई नई अन्तःवासियों से साक्षात्कार करना और अन्तःवासी जो अभ्यावेदन करना चाहें उन्हें सुनना ।

(ग) सुधारात्मक कार्यक्रमों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करना और अतिरिक्त सुधारों के लिए उपाय सुझाना ।

(घ) संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं से निर्मोचित स्त्रियों और लड़कियों के पनर्वास में सहायता करना ।

(ङ) ऐसे अन्य कर्तव्य करना जो बोर्ड को प्रशासक द्वारा समय समय पर सौंपे जायें।

(5) बोर्ड प्रति त्रिमास में एक औपचारिक अधिवेशन करेगा । अधिवेशन संरक्षा गृह या सुधार संस्था में, बारी बारी से किया जायेगा । जिस संरक्षा गृह या सुधार संस्था में अधिवेशन हो रहा है उसका अधीक्षक उस अधिवेशन के लिए बोर्ड का सचिव होगा ।

(6) बोर्ड के किसी अधिवेशन में कोई काम काज उस समय तक नहीं किया जायेगा, जब तक उसमें कम से कम तीन सदस्य उपस्थित न हों।

(7) अध्यक्ष, बोर्ड के उस प्रत्येक अधिवेशन का सभापतित्व करेगा जिसमें वह उपस्थित है। यदि अध्यक्ष किसी अधिवेशन से अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक को अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए निर्वाचित कर लेंगे। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस समय अध्यक्ष की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(8) बोर्ड का अध्यक्ष अधिवेशन की तारीख और समय नियत करेगा और ऐसे नियत की गई तारीख से एक सप्ताह पूर्व बोर्ड के सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना विचाराधीन विशेष विषयों की एक संक्षिप्त के साथ भेजी जाएगी ।

(9) प्रत्येक अधिवेशन का कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और जिस संरक्षा गृह या सुधार संस्था में अधिवेशन हुआ है उसके अधीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणियों के साथ मुख्य निरीक्षक को भेजा जायेगा ।

(10) प्रत्येक गृह या संस्था का अधीक्षक किसी सदस्य के अधिवेशन से अनुपस्थिति के ऐसे मामलों का अभिलेख रखेगा और जब किसी अशासकीय सदस्य की हाजिरी विशेष तौर पर अनियमित हो तब वह प्रशासन के ध्यान में इन तथ्यों को लाएगा। यदि प्रशासक उचित समझता है तो वह ऐसे सदस्य को उसके पद से हटा सकेगा ।

(11) गृह या संस्था के प्रबन्ध में अधीक्षक बोर्ड के संकल्पों से मार्गदर्शित होगा, परन्तु यदि ऐसे संकल्प को कार्यान्वित करना अधीक्षक की राय में अधिनियम या इन नियमों से असंगत है या समीचीन नहीं है तो वह उस संकल्प को मुख्य निरीक्षक के आदेशों के लिए प्रस्तुत करेगा और ऐसा करने के तथ्य की सूचना बोर्ड के अध्यक्ष को देगा/देगी। मुख्य निरीक्षक का आदेश अन्तिम होगा। किन्तु प्रशासक उसका पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे आदेश को पुष्ट, विखण्डित या उपान्तरित कर सकेगा।

परिदर्शक पुस्तिका :—

42. अधीक्षक संरक्षा गृह या सुधार संस्था में एक परिदर्शक पुस्तिका रखवायेगा। किसी परिदर्शक द्वारा परिदर्शक पुस्तिका में अभिलिखित टिप्पणियों की प्रतिलिपि परिदर्शक द्वारा टिप्पणियां अभिलिखित ही किए जाने के पश्चात् अधीक्षक द्वारा मुख्य निरीक्षक को तुरन्त भेजी जायेगी।

वार्षिक विवरणियां :—

43. अधीक्षक अपने संरक्षा गृह या सुधार संस्था के पूर्व वर्ष के प्रशासन के बारे में रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष 15 मई तक मुख्य निरीक्षक को प्रशासक द्वारा विहित प्ररूप में भेजेगा। मुख्य निरीक्षक प्रशासक को प्रत्येक वर्ष की जुलाई के प्रथम सप्ताह में अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, साथ इन नियमों के कार्यकरण की एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।

लेखा रखना और संपरीक्षा करना :—

44. (1) नकद संव्यवहार से संबंधित लेखा संरक्षा गृह या सुधार संस्था के लेखापाल के कांउटर के किसी जिम्मेवार अधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

(2) संरक्षा गृह या सुधार संस्था के धन के लिये एक बैंक खाता खोला जायेगा। अधिक मात्रा में रोकड़ अतिशेष रखना निषिद्ध है।

(3) एक रोकड़ बही रखी जायेगी, जिसमें सभी दैनिक संव्यवहार अभिलिखित किये जायेंगे। नकदी की सभी प्राप्तियां और संदाय उचित वाउचरों द्वारा समर्थित होंगे। प्रत्येक मास की समाप्ति पर, तुलन-पत्र तैयार किया जायेगा।

(4) अधीक्षक द्वारा रोकड़ बही और अतिशेष की प्रतिदिन या यथासाध्य बार-बार पड़ताल की जायेगी।

(5) संरक्षा गृह या सुधार संस्था के सभी लेखों की अर्धवार्षिक संपरीक्षा सरकारी संपरीक्षकों द्वारा करवाई जायेगी और संपरीक्षा रिपोर्टें संवीक्षा के लिये मुख्य निरीक्षक को भेजी जाएंगी।

नियम भंग के लिये दंड :—

45. जो व्यक्ति इन नियमों के नियम 7 या 34 को भंग करेगा वह मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

46. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी प्रशासक, किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से और ऐसी शर्तों पर जो करार पाए ऐसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित या उसके द्वारा अनुज्ञप्त किसी संरक्षा गृह या सुधार संस्था के दादरा और नगर हवेली से लड़कियों या स्त्रियों के निरोध के लिये संस्था गृह/सुधार संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसे गृह या संस्था के नियम/विनियम उनमें इस प्रकार निरुद्ध किये जाने के लिये आदेश किये गये अंत:वासियों को लागू होंगे।

प्रशासक के आदेश से,

एन. कृष्णास्वामी
प्रशासक के सचिव
दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन,
सिलवासा

प्ररूप 1

"वचनबंध का प्ररूप"

(नियम 4 देखिये)

———————— मजिस्ट्रेट के न्यायालय में

————————————————

मैं ———————— जो ————————

का निवासी हूं। ————————————

घोषणा करता हूं कि मैं न्यायालय के आदेश के अधीन, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ———————— का जिसकी आयु ————————

है, भार संभालने को रजामन्द हूं।

(1) जब तक लड़की मेरे भारसाधन में रहेगी मैं उसके कल्याण के लिये पूरा प्रयत्न करूंगा और उसके भरण-पोषण के लिये समुचित व्यवस्था करूंगा।

(2) यदि लड़की का आचरण असंतोषजनक हुआ, तो मैं न्यायालय को अविलम्ब सूचित करूंगा।

(3) लड़की को रुग्णता की दशा में, उसकी निकटतम अस्पताल में उचित चिकित्सा कराई जायेगी।

(4) लड़की अपने धर्म का अनुपालन करने में स्वतंत्र होगी।

(5) मैं अपेक्षा की जाने पर उसको न्यायालय के समक्ष पेश करने का वचनबंध करता हूं।

सिलवासा हस्ताक्षर

नाम, पूरा पता

प्ररूप 2

(नियम 5 देखिए)

"गृह संरक्षा सुधार संस्था में सुपुर्दगी का वारण्ट"

.... के न्यायालय में ....

.स्थित संरक्षा गृह सुधार संस्था को ....

अधीक्षक को .... स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा यथासंशोधित, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956, 1956 का 104, की धारा 10क की उपधारा (1) धारा 17 की उपधारा (4) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन मेरे द्वारा आदेश दिया गया है कि .... को, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, ... से .... तक की अवधि के लिये संरक्षा गृह/सुधार संस्था में निरुद्ध किया जाये।

आप, उक्त अधीक्षक, को प्रधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और वहां उसके उपरनिर्दिष्ट अवधि पर्यन्त दादर और नगर हवेली (स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन) नियम, 1981 के अनुसार निरुद्ध रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

विवरण

1. स्त्री या लड़की का नाम :

2. आयु :

3. धर्म :

4. पहचान चिह्न :

5. अपराध, जिसका आरोप लगाया गया :

अपराध जिसके लिये दोष सिद्ध की गई :
दिया गया दण्डादेश या दण्डादेश की तारीख :
विरोध की अवधि :

आज तारीख ..... को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा लगा कर प्रदत्त ।

प्ररूप–3

(नियम 7) (देखिये)

"अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप"

1. आवेदक या संगम का पूरा नाम (यदि संगम रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि लगाई जायेगी। और संगम के सभी सदस्यों का विवरण दिया जायेगा।

2. धर्म,

3. निवास स्थान (नगर या ग्राम)
पुलिस थाना,
जिला,

टिप्पण :---संगम की दशा में मद 2 और 3 की बाबत विवरण प्रत्येक सदस्य के बारे में दिया जायेगा।

4. संस्था का नाम :

5. संस्था के लक्ष्य तथा उद्देश्य,

6. संस्था की वित्तीय दशा के बारे में विवरण, निधि संपत्ति और आय के स्रोत,

7. भोजन और आवास के लिये किया गया या प्रस्थापित इन्तजाम भवन के ब्यौरे और यह भी कि वह संस्था का है या उसके पास किराए पर है।

8. अन्तःवासियों के साधारण स्वास्थ्य के बारे में इंतजाम और उनके चिकित्सीय उपचार के लिये सुविधाएं और उनको जीवन में प्रसामान्य नागरिक के तौर पर पुनर्वास योग्य बनाने के लिये शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नैतिक प्रशिक्षण के लिये प्रस्थापित इंतजाम।

9. प्रस्थापित संस्था का पूरा पता, शहर या नगर और परिक्षेत्र के नाम सहित।

10. यदि ऐसा कोई आवेदन पहले किया गया है तो उसकी तारीख मास और वर्ष तथा उसका परिणाम।

11. यदि संस्था विद्यमान है तो उसके प्रारम्भ होने की तारीख, यदि उसके कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई है तो वे रिपोर्टें या उसका अंत तक का कार्यकरण।

12. संस्था खोलने के समय अन्तः वासियों की संख्या और विवरण।

13. अधिकतम कितने बालकों और स्त्रियों के लिये वास सुविधा है।

14. कोई अन्य विवरण :—

मैं/हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञात करता हूं/करते हैं कि उपर दिये गये और उपाबद्ध विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

हस्ताक्षर/-
(स्पष्ट अक्षरों में नाम और स्थान सहित)

प्ररूप

अनुज्ञप्ति

(नियम 7(2) देखिए)

अनुज्ञप्ति का क्रम संख्यांक	संरक्षा ग्रह/सुधार संस्था का नाम और पूरा पता	अनुज्ञप्ति धारी का नाम पूरा वर्णन और निवास स्थान	संरक्षागृह/सुधार संस्था के प्रबन्धक का पूरा नाम	संस्था द्वारा की जाने वाली सेवाओं का विवरण	अन्तः वासियों की संख्या पर निर्बन्धन	अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	4	6	7	8

वर्ष 19. के ..... मास की तारीख (मुहर) अनुज्ञापन प्राधिकारी)

1. यह अनुज्ञप्ति स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन, अधिनियम, 1956 और दादरा और नगर हवेली (स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन) नियम, 1981 के समस्त उपबन्धों के अधीन रहते हुए मंजूर की जाती है ।

2. अनुज्ञप्तिधारी संरक्षा गृह/सुधार संस्था के एक सहजदृश्य भाग पर एक साईन बोर्ड लगाएगा जिस पर अंग्रेजी और गुजराती भाषा में सुस्पष्ट अक्षरों में से संरक्षा गृह/सुधार संस्था का नाम लिखा होगा ।

3. अनुज्ञप्ति अन्तरणीय नहीं होगी ।

4. अनुज्ञप्ति जारी की जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त प्रवृत्त रहेगी ।

5. अनुज्ञप्तिधारी, जहां कहीं साध्य हो, संरक्षा गृह / सुधार संस्था का प्रबन्ध स्त्रीयों को सौंपा जाएगा ।

प्ररूप–5

"अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप"

(नियम–7) 3 (देखिये)

1. आवेदक या संगम का पूरा नाम :

यदि संगम रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि और संगम के सभी सदस्यों का विवरण दिया जायेगा।

2. धर्म :

3. निवास-स्थान (नगर या ग्राम)

पुलिस थाना

जिला

4. संस्था का नाम

5. अनुज्ञप्ति का संख्यांक और वर्ष,

6. कोई अन्य विवरण,

हस्ताक्षर स्पष्ट अक्षरों में नाम
तारीख और स्थान सहित

प्ररूप–6

(नियम–8) 1 (देखिये)

(अन्तःवासी रजिस्टर)

1. संरक्षा गृह/सुधार संस्था का नाम :

2. अन्तःवासी का नाम :

3. पिता का नाम या पति का नाम :
(किसी विवाहित स्त्री या लड़की की दशा में)

3. आयु :

4. जाति या धर्म, पूर्व व्यवसाय :
यदि कोई हो।

5. स्थिर निवास का पूर्व स्थान,
यदि कोई हो (नगर या ग्राम)
तालुक और जिला,

6. उंचाई

7. प्रवेश के समय वजन

8. पहिचान चिह्न

9. साधारण स्वास्थ्य,

10. कोई कुशल कार्य करने की योग्यता

11. मामले का कलेंडर संख्यांक और दंडादेश देने वाला प्राधिकारी,

12. विरोध की अवधि और सपूर्वगी
के आदेश की तारीख,

13. प्रवेश की तारीख

14. विरोध की अवधि की समाप्ति
या अन्य गृह/संस्था को
स्थानान्तरण की तारीख :

15. दिया गया कार्य :

16. अन्तःवासी के प्रवेश के समय दी गई
या उसके पास पाई गई या
उसके लेखे तत्पश्चात् प्राप्त हुई संपत्ति
का विवरण और मूल्य तथा प्रत्येक
ऐसी प्राप्ति या व्ययन पर उसके सही
होने की अभिस्वीकृति के तौर पर
अंतःवासी के हस्ताक्षर याचनाएं और
अंगूठे की छाप

17. संपत्ति को अपने भारसाधन में
लेने के प्रतीक स्वरूप अधीक्षक या
उसके अधीनस्थ के हस्ताक्षर
तारीखों सहित।

18. यह दर्शित करने वाली टिप्पणियां
कि अन्तःवासी का उसके विरोध
की अवधि समाप्त होने अथवा
स्थानान्तरण किये जाने पर क्या
किया गया है। प्रविष्टियों की
शुद्धता के प्रतीकस्वरूप
अधीक्षक या उसके अधीनस्थ के
आद्यक्षर।

19. निर्मोचन की तारीख को स्वास्थ्य
की दशा और वजन

20 चिकित्सा अधिकारी के अद्यक्षर
(तारीख सहित)

टिप्पण :––स्वास्थ्य का विवरण चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए।

प्ररूप–7

पूर्व वृत्त टिकट

(नियम देखिये 10)

संरक्षा गृह/सुधार संस्था का नाम :

1. प्रवेश की तारीख :

2. विरोध की अवधि
की समाप्ति की तारीख :

3. अन्तःवासी रजिस्टर में क्रम संख्यांक :

4. नाम :

5. आयु :

6. ऊंचाई :
7. प्रवेश के समय वजन :
8. आहार :
9. दिये गये कार्य की प्रवृत्ति :
10. प्रवेश के समय स्वास्थ्य की दशा :
11. टिप्पणियां (अधिनिर्णीत दंड आदि)
12. मासिक स्वास्थ्य परीक्षा और वजन लेने का परिणाम :
13. तारीख : स्वास्थ्य की दशा

अधीक्षक की टिप्पणियां और अद्यक्षर

नोट : स्वास्थ्य का विवरण चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा ही जाना चाहिए।

प्ररूप 8

(नियम 11 देखिए)

ष ष ष .....में.....मास

(यहां संरक्षा गृह/सुधार संस्था का नाम लिखें)

के दौरान अंतःवासियों के वजन में वृद्धि या कमी का विवरण ।

संरक्षा गृह/सुधार संस्था का नाम	उन अंतःवासियों की कुल संख्या जिनका वजन लिया गया	उन अंतःवासियों की संख्या जिनका वजन कम हुआ	उन अंतवासियों की संख्या जिनका वजन बढ़ा	उन अंतःवासियों की संख्या जिनके वजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।	वजन में औसत वृद्धि

स्थान :
तारीख :

अधीक्षक

प्ररूप 9

चिकित्सा अधिकारी का रोजनामचा

[नियम 19(2) देखिए]

संरक्षा गृह/सुधार संस्था का नाम———————

मास और तारीख	चिकित्सा अधिकारी के प्रेक्षण या निदेश	अधीक्षक की टिप्पणियां

प्ररूप 10

संरक्षा गृह/सुधार संस्था से निर्मोचित लड़की या स्त्री के लिये अनुज्ञप्ति।

सं.

स्थान :

तारीख :

मैं ..... जिसे दादरा और नगर हवेली (स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन) नियम, 1980 के अधीन मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया गया है, ... नाम की ..... वर्ष की आयु की लड़की/स्त्री को ..... के भारसाधन के अधीन रहने के लिये.....स्थित संरक्षा गृह/सुधार संस्था में धारा 10क की उपधारा (1)/धारा 17 की उपधारा (4)/धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन अभिरक्षा/निरोध में रखे जाने के लिये इस शर्त पर अनुज्ञा देता हूं कि उक्त ..... उक्त.....में किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुप्रभाव के प्रयोग के निवारण के लिये सभी प्रकार से देख रेख करेगा और पूर्वावधानी बरतेगा और उसे..... पर नियोजित रखेगा।

यह अनुज्ञप्ति तब तक प्रयत्त रहेगी, जब तक उसका प्रतिसंहरण या समपहरण नहीं कर दिया जाता है या लड़की/स्त्री ..... वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है।

आज तारीख ..... को मेरे हस्ताक्षर से साक्षियत।

* जहां आवश्यक हो।

मुख्य निरीक्षक

प्ररूप 11

[नियम 38 (7) देखिये]

निपटान रजिस्टर

(संरक्षा गृह/सुधार संस्था का नाम)

1. क्रम संख्या :
2. लड़की या स्त्री का नाम :
3. आयु :
4. जाति, धर्म और भाषा :
5. आचरण :
6. उपलब्धि :
7. स्वास्थ्य :
8. चिकित्सीय उपचार :
9. गृह/संस्था छोड़ने की तारीख :
10. गृह/संस्था में ठहरने की अवधि :
11. टिप्पणियां :

अधीक्षक के हस्ताक्षर

प्ररूप 12

वर्ष के दौरान निर्मोचित व्यक्तियों की संख्या

[नियम 38 (8) देखिये]

जिला तालुका नगर या ग्राम

1. संरक्षा गृह/सुधार संस्था का नाम :
2. वर्ष के दौरान निर्मोचित स्त्रियों/लड़कियों की संख्या :

स्थान :
तारीख :

संरक्षा गृह/सुधार संस्था
का अधीक्षक

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 12 अक्तूबर 1981

निरस्त आदेश

सं. ऐडवांस/ला./यू. डी. एफ. एस./162/एफ. एम.-81/ई. पी.-4/सी. एल. ए./2356—मैसर्स हिल्टन रबड़ प्रा. लि. राई (सोनीपत) हरियाणा को एक अग्रिम आयात लाइसेंस सं. पी./एल./2945295 दि. 11-5-81 वास्ते 14,32,000/-रु. का निम्नलिखित मदों के आयात के लिए दिया गया था :—

आयात के लिए	कर छूट के लिए
(1) डिप्ड पोलियस्टर कॉर्ड 1100×2×5 2716 कि. ग्रा. वास्ते 1,16,000/- रु.	15,223 कि.ग्रा.
(2) डिप्ड पोलियस्टर कॉर्ड 1100×2×5 13702 कि. ग्रा. वास्ते 5,86,000/- रु.	
(3) नकली रबड़ 7164 कि.ग्रा. वास्ते 1,60,000/- रु.	6,194.5 कि.ग्रा.
(4) प्राकृतिक रबड़ 37817 कि. ग्रा. वास्ते 3,94,000/- रु.	33204.4 कि.ग्रा.
(5) जिंक आक्साइड 5326 कि. ग्रा. वास्ते 53,000/- रु.	4715 कि.ग्रा.
(6) कारबन ब्लैक 18007 कि.ग्रा. वास्ते 1,23,000/- रु.	14697 कि.ग्रा.

उक्त फर्म ने यह सूचित किया है कि उनका उपरोक्त लाइसेंस की कस्टम हेतु कापी और कर-छूट इंटाइटिलमेन्ट सार्टिफिकेट (डी. ई. ई. सी.) सं. 001995 (कल) दि. 13-5-81, कुछ आंशिक रूप से इस्तेमाल होने तथा कलकत्ता कस्टम पर पंजीकृत होने के पश्चात् कलकत्ता-कस्टम द्वारा खो दिया गया है।

2. उपरोक्त फर्म ने इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र, आयात-निर्यात सम्बन्धी कार्य-विधि पुस्तिका, 1981-82 के पैरा 352-354 के अनुसार प्रस्तुत किया है। अतः मैं सन्तुष्ट हूं कि उपरोक्त आयात-लाइसेंस की मूल कस्टम कापी तथा डी. ई. ई. सी. खो गई है।

3. अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दि. 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (सी.सी.) में प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस की मूल कस्टम कापी तथा डी. ई. ई. सी. को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

4. आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्य-विधि पुस्तिका 1981-82 के पैरा 352-354 अनुसार उपरोक्त लाइसेंस की कस्टम कापी तथा डी. ई. ई. सी. की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

एस. बालाकृष्णा पिल्लई
उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

नई दिल्ली-110002, दिनांक 13 अक्तूबर 1981

निरस्त आदेश

सं. एडिशनल/ला./120/ए. एम.-80/ई. पी.-4/सी. एल. ए./2401—मैसर्स इन्दिरा इन्टरनेशनल, 231 ओखला इन्डस्ट्रियल एस्टेट।।।, नई दिल्ली को एक आयात लाइसेंस सं. पी./डब्ल्यू/2826353 दि. 14-3-80 वास्ते 26,39,904/- रु. अपेन्डिक्स 5 और 7 में लिखित मदों के लिए (अपेन्डिक्स 26 की मदों को छोड़कर) इस शर्त पर दिया गया था कि किसी भी एक मद की रकम, अप्रैल-मार्च 80 की आयात-निति के पैरा 174(3)(5)(6) के अनुसार, दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस फर्म ने यह सूचित किया है कि उक्त लाइसेंस की कस्टम हेतु कापी आंशिक रूप में इस्तेमाल होने के पश्चात खो गई है।

2. आवेदक फर्म ने अपने उक्त कथन के समर्थन में आयात-निर्यात की कार्यविधि -पुस्तिका 1981-82 के पैरा 352-354 के अन्तर्गत एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल कस्टम हेतु कापी खो गई है।

3. अतः आयात-निर्यात नियंत्रण आदेश 1955 दि. 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9(सी.सी.) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस की मूल कस्टम कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

4. आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1981-82 के पैरा 352-354 के अनुसार उपरोक्त लाइसेंस की कस्टम कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

एस. बालाकृष्णा पिल्लई
उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

नई दिल्ली-110002, दिनांक 3 सितम्बर 1981

सं. एडवांस/ला./124/ए. एम.-82/ई. पी०-V I/सी. एल. ए.-1914—मैसर्स: ब्यूटी आर्ट इण्डिया 26-ए जैन भवन, भगत सिंह मार्ग नई दिल्ली को एक अग्रिम लाइसेंस सं. पी./एल./2945837 दि. 11-6-81 वास्ते 8,34,590/-, 1043237 किलो, बिना निर्मित हाथी दांत एवं शिशु हाथी दांत के आयात हेतु दिया गया था। इस फर्म ने अब यह सूचित किया है कि उक्त लाइसेंस की एक्सचेंज कापी बिना किसी कस्टम पर पंजीकृत किए तथा बिना इस्तेमाल किए ही खो गयी है।

2. आवेदक फर्म ने अपने उक्त कथन के समर्थन में एक शपथ-पत्र आयात-निर्यात की कार्यविधि-पुस्तिका के पैरा 352-354 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल एक्सचेंज कापी खो गई है।

3. अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दि. 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (सी. सी.) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस की मूल कस्टम/एक्सचेंज दोनों कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

4. आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि-पुस्तिका 1981-82 के अनुसार उपरोक्त लाइसेंस की कस्टम/एक्सचेंज दोनों कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

ह. नौनगूम
उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

(CENTRAL LICENSING AREA)

New Delhi, the 12th October 1981

CANCELLATION ORDER

No. Adv/Lic/ULFS/162/AM. 81/EP. VI/CLA/2356.—M/s. Hilton Rubber (P) Ltd., Rai, Sonepat (Haryana) was granted Advance Import Licence No. P/L/2945295 dt. 11-5-81 for Rs. 14,32,000/- for the Import of :

For Import	For duty exemptions
1. Dipped Polyester Cord. 1100×2×5 2716 Kgs. for Rs. 1,16,000/-.	
2. Dipped Polyester Cord. 1100×2×25 13,702 Kgs. for Rs. 5,86,000/-.	15,223 Kgs.
3. Synthetic Rubber 7164 Kgs. for Rs. 1,60,000/-	6,194.5 Kgs.
4. Natural Rubber 37,817 Kgs. for Rs. 3,94,000/-	33,204.4 Kgs.
5. Zinc Oxide 5,326 Kgs. for Rs. 53,000/-	4,715 Kgs.
6. Carbon Black 18,007 Kgs. for Rs. 1,23,000/-	14,697 Kgs.

The firm have reported that Custom Purpose Copy of the same and Duty Exemption Entitlement Certificate (DEEC) No. 001995(Cal) dated 13-5-81 have been lost/misplaced by Customs Authorities, Calcutta after having been Registered with Calcutta Custom authority and utilised partly.

2. The applicant firm has filed an affidavit in support of the above statement as required under paras 352-354 of Hand Book of Import Export procedure 1981-82. I am satisfied that the original Customs Purpose Copy of the said licence and DEEC have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under section 9(cc) of Import Trade Control Order 1955 dt. 7-12-1955 as amended. I order the cancellation of the said original Custom Copy of the said licence & DEEC.

4. The applicant's case will now be considered for the issue of Duplicate Licence (Custom Copy) & DEEC in accordance with para 352-354 of Hand Book of Rules & Procedure 1981-82.

S. BALAKRISHNA PILLAI
Dy. Chief Controller of Imports and Exports

New Delhi, the 13th October 1981

No. Addl/Lic/120/AM. 80/EP. VI/CLA/2401.—M/s. Indira International, 231, Okhla Industrial Estate-III, New Delhi was granted Import Licence No. P/W/2826353 dt. 14-3-80 for Rs. 26,39,904/- for import of items appearing in appendices 5 & 7 excluding items appearing in appendix 26 and subject to the condition that the import of signle item should not exceed rupees two lakhs each in value as per paras 174(3) (5) (6) of AM. 80 Import Policy. The firm have reported that Custom Purpose Copy of the same has been lost/misplaced after having been utilised partly.

2. The applicant firm has filed an affidavit in support of the above statement as required under paras 352-354 of Hand Book of Import Export procedure 1981-82. I am satisfied that the original Customs Purpose Copy of the said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under section 9(cc) of Import Trade Control Order 1955 dt. 7-12-1955 as amended. I order the cancellation of the said original Custom Copy of the said licence.

4. The applicant's case will now be considered for the issue of Duplicate Licence (Custom copy) in accordance with para 352-354 of Hand Book of Rules & Procedure 1981-82.

S. BALAKRISHNA PILLAI
Jt. Chief Controller of Imports and Exports

New Delhi, the 3rd September 1981

No. Adv/Lic/24/AM. 82/EP. VI/CLA/1914.—M/s. Beautty Art India, 26-A Jain Bhawan, 12 Bhagat Singh Marg, New Delhi was granted Advance Import Licence No. P/L/2945837 dt. 11-6-1981 for Rs. 8,34,590/- for the import of 1043.237 Kgs. of Ivory unmanufactured Tusks & Baby Tusk. The firm have reported that Exchange Control copy of the same has been lost/misplaced without having been Registered with any Custom authority and utilised at all.

2. The applicant firm has filed an affidavit in support of the above statement as required under paras 352-354 of Hand Book of Import Export procedure 1981-82. I am satisfied that the original Exchange Control purpose copy of the said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under section 9(cc) of Import Trade Control Order 1955 dt. 7-12-1955 as amended. I order the cancellation of the said original Exchange Copy of the said licence.

4. The applicant's case will now be considered for the issue of Duplicate Licence (Exchange Copy) in accordance with para 352-354 of Hand Book of Rules & Procedure 1981-82.

E. NONGRUM
Dy. Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981